न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 05/2019 दिनांक–04.06.19

श्री भगवान सिह पुत्र श्री जतन सिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट 1956

:: निर्णय ::

दिनांक :–10.02.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गोठडा पटवार हल्का झाझड की सरहद में नई खाता संख्या 264 पुरान 248 की भूमि खसरा नम्बर 457/0.7200, 458/0.03, 1523/450/0.0900 कुल किता 3 कुल रकबा 0.8400 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 341, 342 थे, 342 के नये खसरा नम्बर 450/2, 457 व 458 बने, जिनके दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही खसरा नम्बर बदले जाकर खसरा नम्बर 457, 458, 1523/450 डाले गये, जो वर्तमान के खसरा नम्बर हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 457 जिसके पुराने खसरा नम्बर 342 थे, उक्त खसरा नम्बर प्रार्थी की स्वयं की व इसके अलावा जो खसरा नम्बर है, वह भी प्रार्थी की स्वयं की भूमि है खसरा नम्बर 342 सम्वत् 2010 सन् 1953 में जिसका नक्श ट्रेस बना, सही बना हुआ था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से बिना अधिकार के सन् 1979–1980 में खसरा नम्बर 457 का नक्शा ट्रेस बनाकर गलत नक्शे में परिवर्तन कर दिया, जबकि राजस्व कर्मचारियों को पुराने रिकार्ड की पुनावर्ति करने का ही अधिकार ओर पुराने रिकार्ड में परिवर्तन करने की ही अधिकार और पुराने रिकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आदेश लापरवाही खसरा नम्बर 457 व 458 का नक्शा ट्रेस गलत रूप से बना दिया है, वर्तमान में बनाये गये नक्शे के नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी. बिन्दुओं से दर्शाया गया है, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शायी ई.ए.डी.एफ. भूमि खसरा नम्बर 457 व 458 का भाग है, परन्तु उक्त लाल रंग की भूमि के खसरा नम्बर 457 व 458 में शामिल नही करके खसरा नम्बर 457 व 458 का नक्शा ट्रेस गलत रूप से बना दिया गया है। इसलिए प्रार्थी खसरा नम्बर 457 व 458 के नक्शा ट्रेश के पूर्व की भांति दुरूस्त करवाना चाहता है, जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा की गई उक्त गलती एक टेक्नीकल ऐरर है, जो सहवन से लापरवाही से हुई है, जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा जाकर निवेदन किया गया कि ग्राम गोठडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 457/0.7200, 458/0.03 हैक्टर का नक्शा ट्रेस को प्रार्थना पत्र के साथ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये बिन्दुओं ई.ए.बी.सी.डी.एफ. के अनुसार अर्थात पूर्व में बने नक्शा ट्रेश के अनुसार दुरूस्त फरमाने के आदेश प्रदान करे व पूर्व में उक्त नक्शा ट्रेसमं ए. से डी. बिन्दु अनुसार किसी प्रकार का कोई रास्ता अंकित नही है, उस रास्ते को भी दुरूस्त करने की कृपा करे। जिसके लिए अप्रार्थी तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गोठडा के भूमि खसरा नम्बर 457, 458, 1523/450 के पत्रावली मे संलग्न नक्शा ट्रेश हाल व गत का व मौका का मिलान किया गया जिसमें गत नकल नक्शाशीट सन् 1953 व हाल नक्शा शीट सन् 1979–82 का मिलान रकन पर व मौका के अनुसार गत खसरा नम्बर 342 के नक्शे की आकृति हाल नक्शा शीट 1979–80 मे बदलकर छोटी कर दी है। जिसका नजरी नक्शा व गत तैयार किया गया है जो संलग्न पत्रावली है। उपरोक्त नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित बिन्दु संख्या ए, बी,सी, डी हाल नक्शा शीट 1979 –80 के अनुसार है जबकि ई., बी., सी. एफ. बिन्दु गत नक्शा शीट सन् 1953 के अनुसार होना चाहिए, बिन्दु संख्या ए. से डी तक एक ही सीमा है जबक नक्शे में डबल लाईन दर्ज कर पृथक से खसरा नम्बर 458 बनाया हुआ है। जबकि मौके पर एक ही सीमा है। गत खसरा नम्बर 342 के अनुसार हाल नक्शा में शुद्धि की जाना उचित है हाल नक्शा के अनुसार रकबा निम्नानुसार है कि हाल खसरा नम्बर 457 का रिकार्ड में अंकित रकबा 0.62 हैक्टर जिसका मोका व नक्शे के अनुसार रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 458 का रिकार्ड में अंकित रकबा 0.03 हैक्टर जिसका मोका व नक्शे के अनुसार रकबा 0.03 हैक्टर, तथा खसरा नम्बर 1523/450 का रिकार्ड में अंकित रकबा 0.03 हैक्टर जिसका मोका व नक्शे के अनुसार रकबा 0.03 हैक्टर है जिनका रिकार्ड में अंकित कुल रकबा 0.84 हैक्टर बनता है तथा उक्त खसरा नम्बरान् का वर्तमान में नक्शे के अनुसार कुल रकबा 0.63 हैक्टर बनता है। अतः खसरा नम्बर 342 के अनुसार हाल खसरा नलम्बर 457, 458, 1523/450 का नक्शा शुद्ध किया जाने बाबत जवाब पेश किया गया है।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी वर्तमान सम्वत 2066–2069 में खसरा नम्बर 457, 458, 1523/450 रकबा क्रमशः 0.72, 0.03, 0.09 कुल 0.84 हैक्टर की खातेदारी आवेदक भगवान सिंह पुत्र जतन सिंह के नाम दर्ज शुदा है, पूर्व खसरा नम्बर 342 की कोई जमाबंदी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। नक्शा ट्रेस सम्वत 2010 सन 1953 प्रस्तुत की गई है जिसमें खसरा नम्बर 342 के अन्दर से एक डबल डोटेड लाईन रास्ता दर्शित किया गया है। प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल की फोटो प्रति अनुसार खसरा नम्बर 342 मे से गुजर रहा रास्ता के वर्तमान खसरा नम्बर 1523/450 रकबा 0.09 हैक्टर रास्ते के नम्बर है। ऐसी स्थिति में आवेदक का यह कथन कि आवेदक के खेत में से कोई रास्ता नही रहा हो क्योकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत नक्शा शीट सम्वत् 2010 मे ही पूर्व से रास्ता अंकित है तथा पटवारी हल्का गोठडा द्वारा फर्द नक्शा दिनांक 11.10.2019 का अवलोकन करने पर भी यह जाहिर है कि पटवारी हल्का ने उक्त रास्ता मोजुद नही होने बाबत कोई टिप्पणी नही की है ओर नजरी नक्शा में बकायदा उक्त रास्ते को दर्शित कर खसरा नम्बर 1523/450 अंकित किया।

इसी प्रकार पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड अनुसार पुराना खसरा नम्बर 342 से बने वर्तमान खसरा नम्बर 457, 458, 1523/450 कुल रकबा 0.84 हैक्टर अंकित है परन्तु पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में मोका व नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 457 का रकबा 0.67 व खसरा नम्बर 1523/450 का रकबा 0.03 हैक्टर अंकित किया है यानि कि राजस्व रिकार्ड व मोके पर खातेदार के कब्जे काश्त में भूमि कम होना पाया गया है। अगर आवेदक द्वारा चाही गयी दुरूस्ती की जाती है, तो आवेदक के पास मोके पर 0.63 के स्थान पर 0.84 हैक्टर भूमि दिया जाना संभव नही है। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड व जांच रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि सैटलमैन्ट के वक्त खातेदार के कब्जे में खसरा नम्बर 457 में भूमि 0.57

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

हैक्टर मौजूद थी, और आवेदक के खेत खसरा नम्बर 457 में से गुजर रहे रास्ते 0.03 हैक्टर भूमि ही थी। इसलिए सैटलमेट वालो ने मोके की स्थिति अनुसार नये खसरा नम्बर अंकित कर दिये गये। आवेदक के पास मौके पर 0.63 हैक्टर भूमि से अधिक भूमि नही है तथा खातेदारी में 0.84 हैक्टर भूमि दर्ज है अन्तर की भूमि 0.21 हैक्टर भूमि किसके कब्जे में है इसका उल्लेख पत्रावली पर न तो आवेदक ने किया है तथा नही पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाया है कि उक्त 0.21 हैक्टर भूमि पर कौन काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा चाहे गये अनुतोष ग्राम गोठडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 457/0.7200, 458/0.03 हैक्टर का नक्शा ट्रेस को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये बिन्दुओं ई.ए.बी.सी.डी.एफ.के अनुसार अर्थात पूर्व में बने नक्शा ट्रेश के अनुसार दिया जाना उचित नही पाता हूँ। आवेदक चाहे तो खसरा नम्बर 457 के चारो तरफ खसरा नम्बरान व चारो तरफ के खातेदारो में पूर्व में दर्ज खसरा नम्बर 342 की शेष रही भूमि 0.21 हैक्टर की जांच कर पुनः घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित नही होने से स्वीकार जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10-2-20

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:34:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: